## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 700746 / 16

संस्थित दिनाँक-28.11.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

## \_\_:: निर्णय ::— [आज दिनांक 11.01.2017 को घोषित]

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.11.16 को सांय करीब 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित बंजारे का पुरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन बेगेनार क्रमांक एम0पी0—07 सी0ई0—4534 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मालिक व आहत पार्वती का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिव0 की धारा 337 का उपशमन किया गया है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि घटना दिनांक 19.11.16 को फरियादी मालिक बंजारा व उसकी माँ पार्वती पैदल खेत को सड़क किनारे जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे जैसे ही बंजारा पुल भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर पहुंचे तभी भिण्ड तरफ से एक बेगेनार कार क0 एम0पी0—07 सी0ई0—4534 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से अपनी गाड़ी को चलाकर लाया और पार्वती को टक्कर मार दी जिससे पार्वती को कमर में, सिर में, नाक में दाहिनी आंख के नीचे चोट आई। प्रीतम व चरनसिंह आ गए। दुर्घटना के पश्चात् आहत पार्वती को एम्बुलैंस 108 में गोहद अस्पताल ले गए। बेगेनार चालक गाड़ी को ग्वालियर तरफ भगाकर ले गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0—275/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं किया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.11.16 को सांय करीब 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित बंजारे का पुरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन बेगेनार क्रमांक एम0पी0-07 सी0ई0-4534 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मालिक व आहत पार्वती का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

## —:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मालिक अ०सा० 1, पार्वती अ०सा० 2, कालीचरन अ०सा० 3, चरनसिंह अ०सा० 4, प्रीतमसिंह अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. फरियादी मालिक अ0सा0 1 यह कथन करता है कि घटना रात के करीब 8 बजे की है। उसकी मां पार्वती शौच के लिए रोड किनारे गयी थी, वह अपने मकान में था। अचानक से चिल्लाने की आवाज आई तो वह पहुंचा और देखा कि उसकी मां को एक चार पिहया की गाड़ी टक्कर मारकर ग्वालियर तरफ भाग गयी। गाड़ी पर कोई नंबर नहीं लिखा था वह काले रंग की थी। साक्षी कथन करता है कि उसने अपनी मां को ले जाकर रिपोर्ट लिखाई और अंगूठा लगाया इसके बाद अस्पताल में डाक्टरी हुई। साक्षी अपनी मां को कमर व चेहरे पर चोट आने का कथन करता है। इसके अलावा और कोई कथन नहीं करता। इस प्रकार से साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में न तो यह बताता है कि अभिकथित गाड़ी का नंबर क्या था और न हीं कथित गाड़ी कैसे चल रही थी, इसका कोई कथन करता है। आहत महिला पार्वती अ0सा0 2 यह कथन करती हैं कि रात्रि के 8–9 बजे की बात है वे दिशा मैदान (शौच) के लिए रोड़ किनारे जा रही थी तब एक काले रंग की मार्शल ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे वे बेहोश हो गयी। साक्षी उसे होश अस्पताल में आना बताती हैं। पुलिस कार्यवाही उसके लड़के द्वारा किए जाने का कथन करती हैं। यह साक्षी भी कथित गाड़ी का कोई नंबर व उसके चलने की रीति के संबंध में कोई कथन नहीं करती हैं। मुख्य परीक्षण में काले रंग की मार्शल गाड़ी से टक्कर होना बताती हैं।
- 8. प्रकरण में अन्य साक्षी कालीचरन अ०सा० 3, चरनिसंह अ०सा० 4 तथा प्रीतम अ०सा० 5 तीनों ही व्यक्ति रात को 8–9 बजे आहत पार्वती की किसी गाड़ी से टक्कर हो जाने का कथन करते हैं, इसके अलावा और कोई जानकारी न होना बताते हैं। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सभी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में वाहन बेगेनार कमांक एम०पी०–07 सी०ई०–4534 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से टक्कर मार देने के संबंध में सुझाव दिए गए किन्तु किसी भी साक्षी ने

अभियोजन की ओर से दिए गए उक्त सुझाव को स्वीकार नहीं किया। साक्षियों ने उनके धारा 161 दप्रस के कथनों क्रमशः प्र0पी० 3 लगायत 7 के विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर वैसा कोई भी कथन दिए जाने से इंकार किया है। साक्षियों द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। फरियादी मालिक अ०सा० 1 रिपोर्ट प्र०पी० 1 में ए से ए भाग पर बेगेनार एम०पी०-07 सी०ई०-4534 के संबंध में लिखाए जाने से इंकार करता है तथा मुख्य परीक्षण में बिना नंबर की काले रंग की गाडी से एक्सीडेंट होना बताता है। अभियोजन का यह तर्क है कि राजीनामा के कारण साक्षीगण असत्य कथन कर रहे हैं। प्रकरण में यद्यपि आहत का राजीनामा अभिलेख पर है किन्तु किसी भी साक्षी के द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता व अभिकथित वाहन व उसके चालक के रूप में संलिप्तता का कोई कथन नहीं किया है। साक्षियों ने राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। यह सुस्थापित विधि है कि प्राथमिकी व दप्रस की धारा 161 के कथन सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते। न्यायालय का ध्यान <u>न्यायदृष्टांन्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005</u> सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नही आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

- 9. प्रकरण में फरियादी मालिक अ०सा० 1 व आहत पार्वती अ०सा० 2 सर्वोत्तम साक्षी हैं। उक्त दोनों ही व्यक्ति काले रंग की गाड़ी के द्वारा दुर्घटना कारित होने का कथन करते हैं। आहत पार्वती अ०सा० 2 काले रंग की मार्शल गाड़ी से दुर्घटना कारित होने का कथन करती हैं। जबिक अभियोग पत्र में उल्लेखित बेगेनार कार नंबर एम०पी०-07 सी०ई०-4534 सिल्की सिल्वर कलर की गाड़ी है। इस प्रकार से अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन का मामला पूर्णतः संदिग्ध हो जाता है। प्रकरण में उक्त साक्षियों के अतिरिक्त कोई भी सारवान साक्षी नहीं हैं।
- 10. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.11.16 को सांय करीब 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित बंजारे का पुरा के सामने सार्वजिनक मार्ग पर वाहन बेगेनार कमांक एम0पी0—07 सी0ई0—4534 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मालिक व आहत पार्वती का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त को राजीनामा के आधारा संहिता की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

- 11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 12. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन एम0पी0-07 सी0ई0-4534 उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही 🖊 🗕

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

SILAND SI

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश